न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीष,द्वितीय सह विषेष न्यायाधीष,उत्पाद,समस्तीपुर।

सरायरंजन घटहो थाना काण्ड सं0 76/19, कम्पयूटर निबंधन सं0 398/19

11.6.19 आवेदक षिव सहनी एवं मनोज सिंह, जो सरायरंजन घटहो थाना काण्ड सं0 76/19, धारा–272, 273 भा0द0वि0 एवं धारा–30;द्ध;बद्ध बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधि0 2016 के अन्तर्गत दिनांक 25.5.19 से काराधीन है, की ओर से पूर्व दाखिल जमानत आवेदन पर उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना। आवेदन की प्रति पूर्व में विद्वान वि0 लोक अभि0 को दी जा चुकी है।

आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता श्री कुमार गौरव सिंह द्वारा जमानत आवेदन प्रचालित करते हुए निवेदन किया गया कि आवेदक निर्दोष है, उन्होंने कोई अपराध कारित नही किया है। उसके विरूद्व लगाया गया आरोप मनगढ़ंत, असत्य एवं निराधार है। उसके पास से कोई षराब बरामद नहीं किया गया है। उसे मात्र ग्रामीण राजनीति एवं दुष्मनी के कारण इस वाद वाद में फॅसा दिया गया है। तथाकथित बरामद षराब से उसका कोई संबंध नही है। आरोपित धाराएँ उसके विरूद्व नही बनती है। उसका कोई आपराधिक इतिहास नही है। वह दि0 25.5.19 से काराधीन है। अतः उसे जमानत पर मुक्त करने की कृपा की जाए।

विद्वान वि0 लोक अभियोजक श्री रामलखन राय द्वारा जमानत का विरोध किया गया।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। इस वाद की प्राथमिकी आवेदक अभियुक्तगण के विरूद्व धारा–272, 273 भा0द0वि0 एवं धारा–30;द्ध;बद्ध बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधि0 2016 के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया है। प्राथमिकी के अनुसार सूचक को गुप्त सूचना मिली कि जगदीषपुर चौर में 2–3 ष्षराब कारोबारी ष्षराब बेचने का अवैध व्यापार कर रहा है। इस सूचना पर पर सूचक द्वारा पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर छापामारी किया गया तथा दो व्यक्ति को पकड़ा गया जिसने पूछताछ में अपना नाम षिव सहनी एवं मनोज सिंह बताया तथा तलाषी के क्रम में घटनास्थल से प्लास्टिक के बाल्टी में 10 लीटर महुआ का घोल, एक लीटर देषी ष्षराब, अल्युमिनियम का तसली जिसमें प्लास्टिक का पाईप लगा हुआ तथा मोबाईल बरामद किया गया तथ पकड़ाये अभियुक्तगण की निषानदेही पर कुल 15 कार्टुन विदेषी ष्षराब बरामद किया गया जिसकी जप्ती सूची बनायी गयी। आवेदक अभियुक्तगण के विरूद्व लगाये गये आरोप की प्रकृति काफी गम्भीर है तथा उसके विरूद्व वाद का अनुसंधान जारी है।

उपरोक्त विवेचित परिस्थितियों में आवेदक अभियुक्तगण के विरूद्व लगाये गये आरोप की प्रकृति एवं गम्भीरता तथा बरामद षराब की भारी मात्रा को देखते हुए यह न्यायालय आवेदक अभियुक्तगण को जमानत का लाभ देना न्यायोचित नही समझता है। अतः आवेदक अभियुक्तगण की ओर से दाखिल जमानत आवेदन खारिज किया जाता है।

;लेख

ापितद्ध

अपर सत्र न्या0–2

सह वि0 न्या0उत्पाद